(5)

न्यायालय जिला कलक्टर, शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 06/2024 अपील

1. दयाराम पुत्र रामकिशन मीणा निवासी कास्या, गुरजानिया, ओवन जिला बूंदी।

—अपीलार्थी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र शंकरलाल मीणा निवासी शक्करगढ़ तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा।
2. तहसीलदार जहाजपुर, जिला शाहपुरा।

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध तहसीलदार जहाजपुर रूपान्तरण आदेश एलसी/2022–23/130780 दिनांक 29.08.2022

उपस्थित –

1. श्री अनिल कुमार शर्मा अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री दीपक सिंह चौहान अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 01 की ओर से।

न्यायालय जिला कलक्टर शाहपुरा (राज.)

निर्णय

दिनांक : 11-11-2024

1. अपीलार्थी की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध तहसीलदार जहाजपुर रूपान्तरण आदेश एलसी/2022–23/130780 दिनांक 29.08.2024 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम शक्करगढ़ तहसील जहाजपुर वर्तमान जिला शाहपुरा में विपक्षी संख्या 01 की खातेदारी की कृषि आराजी संख्या 786 स्थित है। विपक्षी संख्या 02 द्वारा विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में उक्त कृषि आराजी का आवासीय संपरिवर्तपन पत्रांक एलसी/2022–23/130780 कर दिया। विपक्षी संख्या 02 ने आवासीय संपरिवर्तन हेतु आराजी संख्या 787 को राष्ट्रीय राजमार्ग 148डी तक मिलाने हेतु संकट मोचन आदर्श गौशाला समिति की रेकार्डेड खाते में दर्ज आराजी संख्या 887 में से रास्ता दर्ज करते हुए आराजी संख्या 786 को आबादी भूमि में संपरिवर्तित कर दिया जबकि संकट मोचन आदर्श गौशाला समिति शक्करगढ़ की आराजी में किसी प्रकार से कोई रास्ता या अन्य प्रयोजन हेतु परिवर्तित नहीं की जा सकती थी। फिर भी विपक्षी संख्या 02 द्वारा विपक्षी संख्या 01 को लाभ पहुंचाने की नियत से विधि सिद्धांतों के विपरीत संकट मोचन आदर्श गौशाला समिति शक्करगढ़ की आराजी संख्या 887 में रास्ता दर्शाते हुए भूमि का आवासीय में संपरिवर्तित किया जो अपने प्रारम्भ से की अकृत व शुन्य है क्योंकि गौशाला समिति को विपक्षी संख्या 02 द्वारा न तो सुना गया और न ही सूचित किया गया। विधि के प्रावधानों के अनुसार गौशाला हेतु आरक्षित आराजी में भूमि के सम्परिवर्तन हेतु रास्ता निकालने का कोई विधिक प्रावधान नहीं है। मौका पर्चा

जिला कलक्टर
शाहपुरा

(5)

पटवारी हल्का शक्करगढ़ द्वारा दिनांक 10.08.2022 स्पष्ट किया गया कि मौके पर आवेदित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग मुख्या सड़क ग्रामीण रास्ते के 160 मीटर दूरी पर स्थित है फिर भी उक्त तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए विपक्षी संख्या 02 द्वारा विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में सम्परिवर्तन आदेश दिनांक 29.08.2022 को पारित किया, जो विधि प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी को जानकारी होने के पश्चात् अपीलार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 02 को लिखित में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया करने के बाद भी विपक्षी संख्या 02 द्वारा उक्त संपरिवर्तन आदेश को निरस्त नहीं किया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में जारी संपरिवर्तन आदेश एलसी/2022–23/130780 दिनांक 29.08.2022 को निरस्त कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

2. प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 26.02.2024 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षीगण को वजह जाहिर करने विपक्षी को नोटिस जारी किये गये।

3. दिनांक 12.08.2024 को विपक्षी संख्या 01 की ओर से दीपक सिंह चौहान द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 07.10.2024 को विपक्षी संख्या 01 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्राप्त जवाब में विपक्षी संख्या 01 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रस्तुत अपील में वर्णित कृषि आराजी का आवासीय संपरिवर्तन विधि सम्मत किया गया है। हल्का पटवारी भू.अ.नि. शक्करगढ़ द्वारा भी आराजी संख्या 886 व 887 में मौके पर रास्ता होने की रिपोर्ट पेश की है। अपीलार्थी न तो शक्करगढ़ का निवासी है और न ही अपीलार्थी की कोई कृषि आराजी जवाबदाता विपक्षी संख्या 01 की उक्त वर्णित आराजी के पास है। अपीलार्थी द्वारा मात्र जवाबदाता को परेशान करने की नियत से यह अपील पेश की गई है। जवाबदाता ने उक्त वर्णित आराजी के संपरिवर्तन के बाद सम्पूर्ण भूखण्ड का बेचान कर दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज करने का आदेश प्रदान करावें।

4. प्रकरण में अपीलार्थी अधिवक्ता एवं विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से बहस प्रस्तुत कर अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि विपक्षी संख्या 02 द्वारा विपक्षी संख्या 01 को लाभ पहुचाने की नियत से विधि सिद्धांतों के विपरीत संकट मोचन आदर्श गौशाला समिति शक्करगढ़ की आराजी संख्या 887 में रास्ता दर्शाते हुए आराजी संख्या 786 कृषि भूमि का आवासीय में संपरिवर्तित किया जो अपने प्रारम्भ से की अकृत व शून्य है क्योंकि गौशाला समिति को विपक्षी संख्या 02 द्वारा न तो सुना गया और न ही सूचित किया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में जारी संपरिवर्तन आदेश एलसी/2022–23/130780 दिनांक 29.08.2022 को निरस्त कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

5. अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 की ओर से बहस प्रस्तुत कर जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि अपीलार्थी न तो शक्करगढ़ का निवासी है और न ही अपीलार्थी की कोई कृषि आराजी विपक्षी संख्या 01 की उक्त वर्णित आराजी संख्या 786 के पास है। हल्का पटवारी भू.अ.नि. शक्करगढ़ द्वारा भी आराजी संख्या 886 व 887 में मौके पर रास्ता होने की रिपोर्ट पेश की है। अतः झूठे एवे गलत तथ्यों के आधार पर की गई इस अपील को खारिज करना फरमावें।

6. प्रस्तुत बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि ग्राम शक्करगढ़ तहसील जहाजपुर वर्तमान जिला शाहपुरा में विपक्षी संख्या 01 की खातेदारी की कृषि आराजी संख्या 786 स्थित है। विपक्षी संख्या 02 द्वारा विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में संकट मोचन आदर्श गौशाला समिति शक्करगढ़

जिला कलक्टर
शाहपुरा

(6)

की आराजी संख्या 887 में रास्ता दर्शाते हुए आराजी संख्या 786 कृषि भूमि का आवासीय में संपरिवर्तित किया। हल्का पटवारी भू.अ.नि. शक्करगढ़ द्वारा आराजी संख्या 886 व 887 में मौके पर कदीमय रास्ता होने की रिपोर्ट पेश की है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त कदीमय रास्ता वर्तमान में मौजूद है तथा पत्रावली में प्रस्तुत नजरी नक्शा में भी कदीमय रास्ता दर्शाया हुआ है। साथ ही बहस के दौरान अपीलार्थी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया कि उक्त संपरिवर्तन से उनका हित किस प्रकार प्रभावित हो रहा है। अपीलार्थी की कोई कृषि आराजी विपक्षी संख्या 01 की उक्त वर्णित आराजी संख्या 786 के पास स्थित नहीं है। अपीलार्थी की उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने योग्य ठहरती है। अतएव–

आदेश

7. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध तहसीलदार जहाजपुर अस्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में जारी संपरिवर्तन आदेश एलसी/2022–23/130780 दिनांक 29.08.2022 को यथावत रखने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति तहसीलदार जहाजपुर को पेषित की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर शाहपुरा (राज.)

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
जिला कलक्टर
शाहपुरा

जिला कलक्टर
शाहपुरा